



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, http:// : bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 27/07/2023

अधिसूचना

संख्या-नि.प्रा./नि. 1-10/2022 1458 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-968 दिनांक 15.06.2022 द्वारा अन्य समितियों के साथ बांका जिला के फुल्लीडुमर प्रखंड अंतर्गत फुल्लीडुमर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। उक्त समिति की मतदाता सूची पर उत्पन्न विवाद के कारण प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1194 दिनांक 06.07.2022 द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित किया गया। प्राधिकार के पत्रांक- 2324 दिनांक 26.12.2022 द्वारा उक्त समिति की मतदाता सूची के संबंध में आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-40 दिनांक 05.01.2023 द्वारा उक्त समिति के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया।

2. समादेश याचिका संख्या- 464/2023 में दिनांक 01.02.2023 को माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु प्राधिकार के पत्रांक 260 दिनांक 01.02.2023 द्वारा उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम पुनः स्थगित किया गया। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन के तहत जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका द्वारा जांचोपरांत पत्रांक 1096 दिनांक 08.05.2023 एवं पत्रांक 1543 दिनांक 17.07.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आलोक में फुल्लीडुमर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० के निर्वाचन कार्यक्रम को निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

(i)	सूचना का प्रकाशन एवं अद्यतन संशोधित मतदाता सूची का विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशन	03.08.2023 (गुरुवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	18.08.2023 (शुक्रवार) एवं 19.08.2023 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	21.08.2023 (सोमवार) एवं 22.08.2023 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	24.08.2023 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	31.08.2023 (गुरुवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	31.08.2023 (गुरुवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	02.09.2023 (शनिवार)

3. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम एवं अद्यतन संशोधित मतदाता सूची का विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशन से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी दिनांक 04.08.2023 तक प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा अधिसूचना संख्या- 40 दिनांक 05.01.2023 के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें नामांकन पत्र दायर किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नये अभ्यर्थी नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं।

5. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

6. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाइट पर <http://bsea.bihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

7. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 02.09.2023 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।

(पुरुषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1458

पटना/ दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 1458

पटना/ दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, भालगपुर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (संस०), बांका/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (संस०), बांका/ पुलिस अधीक्षक, बांका/ अपर समाहर्ता, बांका/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (संस०), फुल्लीडुमर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (संस०), बांका से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (संस०), फुल्लीडुमर को उपलब्ध कराने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करेंगे।

3. जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका को निदेशित किया जाता है कि संबंधित समिति की अद्यतन संशोधित मतदाता सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (संस०), फुल्लीडुमर को दिनांक 02.08.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 1458

पटना/ दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक : 1458

/पटना, दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

सचिव

ज्ञापांक : 1458

/पटना, दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव

ज्ञापांक : 1458

/पटना, दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
Piyush